भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 391**

(वाणिज्य विभाग)

<u>दिनांक 02 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

विदेश व्यापार नीति

391 श्री मुरसोली एस.:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु (ईपीसीजी) योजना और विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) ढांचे सहित कई राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन और औद्योगिक विकास पहलों से निर्यात विविधीकरण और विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता के संदर्भ में अपेक्षित परिणाम नहीं मिले है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र द्वारा चलाई जाने वाली इन नीतियों और योजनाओं के अंतर्गत परिचालन संबंधी सुधारों, प्रक्रियात्मक युक्तिसंगतीकरण और डिजिटल संयोजन में विलंब के क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान एसईजेड ढांचे के अंतर्गत निर्यात, निवेश और सृजित रोजगार और प्रमुख निर्यात संवर्धन योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस विषय में पूर्वापेक्षी नीतिगत समय-सीमा, सरलीकृत अनुपालन, कुशल केन्द्रीय अनुमोदन और पारदर्शी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ताकि निर्यातकों, विनिर्माण इकाइयों और कामगारों पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रक्रियात्मक अनिश्चितताओं या प्रशासनिक विलंब का प्रतिकूल प्रभाव न हो?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) सरकार निर्यात विविधीकरण और विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता की सुविधा के लिए विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) और विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) संरचना के तहत निम्नलिखित सहित कई विकास पहलों को लागू कर रही है:

अग्रिम प्राधिकार-पत्र (एए)/शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआइए) स्कीम: निविष्टि के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र जारी किया जाता है, जिसे निर्यात उत्पाद (छीजन के लिए सामान्य भत्ता देना) में भौतिक रूप से शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ईंधन, तेल, उत्प्रेरक जो निर्यात उत्पाद के उत्पादन की प्रक्रिया में खपत/उपयोग किया जाता है, को भी अनुमति दी जा सकती है। डीएफआइए पश्च निर्यात स्कीम है और निर्यात उत्पादों में उपयोग की गई निविष्टि के शुल्क मुक्त आयात पात्रता की अनुमति देने के लिए जारी की जाती है। इसके अतिरिक्त, निर्यात उत्पाद के उत्पादन की प्रक्रिया में खपत/उपयोग किए जाने वाले तेल और उत्प्रेरक के आयात की भी अनुमति दी जा सकती है।

निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु स्कीम (ईपीसीजी): ईपीसीजी स्कीम का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात को सुविधाजनक बनाना और भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। इस स्कीम के तहत, पूर्व-उत्पादन, उत्पादन और उत्पादन के बाद के चरणों में निर्यात उत्पादों/निर्यात सेवाओं के विनिर्माण में आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं पर शुल्क छूट प्रदान की जाती है।

निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट स्कीम (आरओडीटीईपी): स्कीम का उद्देश्य निर्यातित उत्पाद पर वहन किए जाने वाले केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर वर्तमान में वापस न किए गए शुल्कों/करों/लेवी को वापस करना है, जिसमें निर्यात किए गए उत्पाद के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर पूर्व चरण के संचयी अप्रत्यक्ष कर शामिल हैं।

निर्यात उन्मुख इकाइयाँ (ईओयू), इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी), सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) और जैव प्रौद्योगिकी पार्क (बीटीपी): वस्तुओं और सेवाओं के अपने संपूर्ण उत्पादन का निर्यात करने के लिए उपक्रम करने वाली इकाइयों की स्थापना ईओयू स्कीम, ईएचटीपी स्कीम, एसटीपी स्कीम या वस्तुओं के निर्माण के लिए बीटीपी स्कीम के तहत की जा सकती है, जिसमें मरम्मत, पुन: निर्माण, रीकंडीशनिंग, री-इंजीनियरिंग, सेवाएं प्रदान करना, सॉफ्टवेयर विकसित करना, कृषि सहित कृषि-प्रसंस्करण, जलीय कृषि, पशुपालन, जैव-प्रौद्योगिकी, फूलों की खेती, बागवानी, मत्स्य पालन, अंगूर की खेती, मुर्गी पालन और रेशम उत्पादन शामिल हैं।

क्षमता निर्माण और आउटरीच कार्यक्रम: परामर्श, प्रशिक्षण और आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से विदेश व्यापार की जटिलताओं पर नए और संभावित निर्यातकों को सलाह देने के लिए निर्यात बंधु स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम): ईपीएम को वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 के लिए 25,060 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ विशेष रूप से एमएसएमई, पहली बार निर्यातकों और श्रम-गहन क्षेत्रों के लिए भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने हेतु 12.11.2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। ईपीएम कई स्कीमों के अंश से मिलकर, एक परिणाम-आधारित और अनुकूली तंत्र में एक रणनीतिक बदलाव का प्रतीक है जो वैश्विक व्यापार चुनौतियों और उत्पन्न होने वाली निर्यातक आवश्यकतओं का तेजी से सामना कर सकता है। ईपीएम वाणिज्य विभाग, एमएसएमई मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और वित्तीय संस्थानों, निर्यात संवर्धन परिषदों, पण्य बोर्डों, उद्योग संघों और राज्य सरकारों सहित अन्य प्रमुख हितधारकों को शामिल करते हुए एक सहयोगी संरचना है। मिशन का दो एकीकृत उप-स्कीमों के माध्यम से काम करने का प्रस्ताव है: (1) निर्यात प्रोत्साहन का फोकस एमएसएमई के लिए किफायती व्यापार वित्त तक पहुंच को बेहतर बनाने पर है, जिसमें ब्याज अनुदान, निर्यात फैक्टरिंग, आनुषंगिक गारंटी, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए क्रेडिट कार्ड और नए बाजारों में विविधीकरण के लिए ऋण वृद्धि सहायता जैसे कई तरीके शामिल हैं। (2) निर्यात दिशा, जिसमें गैर-वित्तीय सक्षमताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जो बाजार की तत्परता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएंगे, जिसमें निर्यात गुणवत्ता और प्रचालन सहायता, अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग, पैकेजिंग के लिए सहायता, और व्यापार मेलों में भागीदारी, निर्यात भंडारण और लॉजिस्टिक्स, अंतर्देशीय परिवहन प्रतिपूर्ति, और व्यापार आसूचना और क्षमता निर्माण पहल शामिल हैं।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) अधिनियम, 2005 और विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के अंतर्गत स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) मुख्यत निजी निवेश-संचालित पहल हैं। एसईजेड सुधारों का कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है और एसईजेड प्रशासन में अंतर्निहित है। उद्योग और अन्य हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर नियमित अंतराल पर कई एसईजेड सुधार किए गए हैं। ये सुधार परिचालन और प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर करने पर केंद्रित हैं और भारत में निर्यात के प्रमुख साधन के तौर पर उनकी कुशलता में सुधार लाने के क्रम में एसईजेड की कार्यपद्धति को सरल बनाते हैं।

(ख) सरकार ने विदेश व्यापार नीति और विशेष आर्थिक क्षेत्र संरचना के अंतर्गत विकासात्मक पहलों के कार्यान्वयन में सीमा शुल्क, एमएसएमई और बैंकों सहित सभी विभागों और एजेंसियों में परिचालन सुधार, प्रक्रियात्मक युक्तिकरण और डिजिटल एकीकरण के उद्देश्य से लगातार समय पर और ठोस पहल की है। प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

डिजिटल-फर्स्ट गवर्नेंस को बढ़ावा देने और निर्यातकों के लिए व्यापक डिजिटलीकरण, प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग और स्वचालन के उद्देश्य से प्रचालन को सरल बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं ताकि निर्यातकों के लिए व्यापार सुगम हो सके और सीमा शुल्क, बैंकों आदि जैसी एजेंसियों के साथ डेटा एकीकरण और डेटा एक्सचेंज में सुधार हो सके, जिसके परिणामस्वरूप प्रक्रिया में तेजी आई, पारदर्शिता बढ़ी और कारोबार में लगने वाले समय में कमी आई। आयातक-निर्यातक कोड (आइईसी), अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआइए/ईपीसीजी/ आरओडीटीईपी स्कीमें, इलेक्ट्रॉनिक बैंक वसूली प्रमाणपत्र (ईबीआरसी), और उद्गम प्रमाणपत्र (सीओओ) सहित प्रमुख निर्यात-संबंधी प्राधिकार पत्रों और प्रमाणपत्रों के लिए एक संपूर्ण डिजिटल अनुमोदन प्रणाली लागू की गई है। स्व-प्रमाणित ईबीआरसी की शुरुआत से कागजी कार्रवाई समाप्त हो गई है, जिससे निर्यातकों के लिए लागत में काफी बचत हुई है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी), वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन), सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), और बैंकों जैसे कई सरकारी निकायों के साथ रीयल-टाइम एपीआइ एकीकरण स्थापित किया गया है, जिससे 50 से ज़्यादा व्यापार प्रक्रियाएँ सरल हुई हैं और अनावश्यक नियम समाप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए क्यूआर और यूडीआइएन-आधारित दस्तावेज़ सत्यापन प्रणालियां शुरू की गई हैं।

ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफ़ॉर्म अब निर्यातकों को निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी), भारतीय मिशनों और विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के साथ एकीकृत करता है, जिससे पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) और सीओओ जारी करने के लिए एक एकीकृत प्रणाली और निर्यातकों के लिए एकल-खिड़की इंटरफ़ेस उपलब्ध होता है। नीतिगत अद्यतनों और स्थिति पर नज़र रखने में निर्यातकों की सहायता के लिए मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किए गए हैं, जबकि अधिकारी कुशल निगरानी के लिए मोबाइल उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। 122 एजेंसियों द्वारा 40 लाख से अधिक इलेक्ट्रॉनिक उद्गम प्रमाणपत्र (ई-सीओओ) जारी करने के साथ वैश्विक संरेखण और भविष्य की तैयारी को प्राथमिकता दी गई है, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारत की स्थिति मज़बूत हुई है।

व्यापार को सुगम बनाने, निर्यातकों को सशक्त बनाने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और नवीन समाधानों के माध्यम से आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए, एसईजेड परिचालनों को आइसीईगेट और एसईजेड ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से डिजिटल रूप से एकीकृत किया गया है।

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान विशेष आर्थिक क्षेत्रों के अंतर्गत निर्यात, निवेश और सृजित रोजगार का राज्यवार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(घ) एफटीपी, प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) और एसईजेड नियमों के साथ प्रत्येक प्रक्रिया के लिए समय-सीमा निर्धारित करती है ताकि पूर्वानुमानित नीति सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त, सभी उपाय सरलीकृत प्रक्रियाओं और सभी हितधारकों के साथ ईडीआइ डेटा के आदान-प्रदान के माध्यम से ईडीआइ पद्धति में प्रदान किए जाते हैं। व्यापार और उद्योग से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, सरकार प्रक्रिया के सरलीकरण, हस्तांतरण लागत को कम करने और समय समय पर एफटीपी/एचबीपी में संशोधन के द्वारा निर्यातकों को लाभ पहुंचाने के लिए स्वचालीकरण को प्रोत्साहन देने के कई उपाय कर रही है:

अनुलग्नक

पिछले 5 वर्षों के दौरान एसईजेड से निर्यात का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा						
						(करोड़ रुपये में)
क्रम संख्या	**राज्य**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
1	आंध्र प्रदेश	28111.87	31028.90	40420.34	44984.45	55247.04
2	चंडीगढ़	2575.13	2605.38	3021.80	3200.03	3084.75
3	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	गुजरात	137228.75	239190.01	335835.73	310283.13	332891.81
5	हरियाणा	25030.03	25907.14	32739.98	36774.15	43198.79
6	झारखंड	0	0	363.75	6326.29	6856.28
7	कर्नाटक	132110.23	167311.30	218772.87	228952.07	248838.73
8	केरल	19278.99	21972.23	21501.13	25774.17	28799.83
9	मध्य प्रदेश	11175.90	12571.26	12859.28	16026.96	14847.01
10	महाराष्ट्र	138788.97	160051.78	186786.75	210756.46	224250.91
11	ओडिशा	13453.63	26366.94	27165.58	31331.66	29694.50
12	पंजाब	1844.67	2127.41	2685.01	3131.50	2361.22
13	राजस्थान	3534.11	4578.34	5507.32	7141.28	13636.43
14	तमिलनाडु	116843.71	136328.71	172580.41	177930.39	203303.56
15	तेलंगाना	84696.34	105523.98	140373.43	178086.41	173701.12
16	उत्तर प्रदेश	26579.72	33014.90	39835.68	47703.94	51137.58
17	पश्चिम बंगाल	18271.69	22168.80	23129.18	26817.34	31819.85
	कुल	**759524**	**990747**	**1263578**	**1355220**	**1463669**

पिछले 5 वर्षों के दौरान एसईजेड से हुए निवेश का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा						
						(करोड़ रुपये में)
क्रम संख्या	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
1	आंध्र प्रदेश	31174	39470	41738	42363	42742
2	चंडीगढ़	398	438	552	513	530
3	छत्तीसगढ़	1635	1635	1635	1635	1635
4	गोवा	297	0	0	0	0
5	गुजरात	208067	219565	223398	209204	265120
6	हरियाणा	14319	14287	14616	15579	16858
7	झारखंड	0	0	0	13622	13676
8	कर्नाटक	104489	105911	106650	107159	108776
9	केरल	17034	17192	17984	18020	18020
10	मध्य प्रदेश	7291	7350	7612	7658	7724
11	महाराष्ट्र	72235	75571	79718	88520	90301
12	ओडिशा	20434	20444	20444	20444	22829
13	पंजाब	940	961	983	1022	662
14	राजस्थान	2315	2505	2611	2899	2978
15	तमिलनाडु	66157	64903	54908	77439	72041
16	तेलंगाना	42658	48100	52610	60540	76587
17	उत्तर प्रदेश	22105	24408	27759	33760	34191
18	पश्चिम बंगाल	5951	6966	6966	6966	7521
कुल		**617499**	**649705**	**660184**	**707342**	**782192**

नोट: संचयी आधार पर गणना की गई है।

पिछले 5 वर्षों के दौरान एसईजेड से मिले रोजगार का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा						
						(व्यक्ति)
क्रम संख्या	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
1	आंध्र प्रदेश	70121	75907	78866	79831	79523
2	चंडीगढ़	7883	8972	10784	9475	8562
3	छत्तीसगढ़	6	6	6	6	6
4	गोवा	0	0	0	0	0
5	गुजरात	96689	105922	112899	126658	174545
6	हरियाणा	135092	150482	178413	182783	198668
7	झारखंड	0	0	0	79	69
8	कर्नाटक	374890	398580	401232	424497	424715
9	केरल	79294	82640	86484	89189	89106
10	मध्य प्रदेश	27354	31127	36401	35955	35316
11	महाराष्ट्र	474690	560052	589971	635373	643898
12	ओडिशा	8261	8222	13538	14513	13133
13	पंजाब	8187	9545	12079	11216	11801
14	राजस्थान	22341	23402	24581	35469	48886
15	तमिलनाडु	479674	523807	591517	728493	607812
16	तेलंगाना	362797	469781	500415	538714	527246
17	उत्तर प्रदेश	137480	161712	184871	196662	223306
18	पश्चिम बंगाल	73377	86023	73555	85191	91301
कुल		**2358136**	**2696180**	**2895612**	**3194104**	**3177893**

नोट: संचयी आधार पर गणना की गई है।

*****